न्यायालय भू० अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS No : 2022 / 323
दायरा तिथि : 26.08.2022
फैसला तिथि : 21-12-22

प्रार्थी :–
1. जगदीशसिंह पुत्र घीसूसिंह जाति राजपुरोहित
निवासी माताजीवाडा तहसील बाली
2. सुमेरसिंह पुत्र घीसूसिंह जाति राजपुरोहित
निवासी माताजीवाडा तहसील बाली
3. रतनकुंवर पत्नी घीसुसिंह जाति पुरोहित
निवासी माताजीवाडा तहसील बाली

बनाम

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली
उपस्थिति:–
1. श्री गणपतसिंह राजपुरोहित.................................. अभिभाषक प्रार्थी की ओर से
2. श्री ललित कुमार .... नायब तहसीलदार पैरोकार सरकार की ओर से

–:: आदेश ::– दिनांक 21-12-22

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा ग्राम माताजीवाडा तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नंबर 642, 643, 25, 62, 626, 627, 628, 629, 63, 630, 64, 65, 632, 633 में **दर्ज प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम जगदीश पुत्र घीसुलाल, सुमेर पुत्र घीसुलाल व रतन पत्नी घीसुलाल** को **दुरस्ती** के माध्यम से सही व **वास्तविक नाम जगदीशसिंह पुत्र घीसुसिंह, सुमेरसिंह पुत्र घीसुसिंह व रतन कुंवर पत्नी घीसुसिंह शुद्ध** किये जाने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि में बतौर अभिलेखीय साक्ष्य वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी की प्रति पेश की गई। प्रस्तुत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, बाली ने जांच कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार वर्णित भूमि मे प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम **जगदीश पुत्र घीसुलाल, सुमेर पुत्र घीसुलाल व रतन पत्नी घीसुलाल** दर्ज होने तथा प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व भामाशाह कार्ड के अनुसार प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम **जगदीशसिंह पुत्र घीसुसिंह, सुमेरसिंह पुत्र घीसुसिंह व रतन कुंवर पत्नी घीसुसिंह** दर्ज होना स्वीकार किया तथा उक्त त्रुटि नामान्तरकरण दर्ज करते समय होना स्वीकार करते हुये राजस्व रेकर्ड में **दर्ज प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम जगदीश पुत्र घीसुलाल, सुमेर पुत्र घीसुलाल व रतन पत्नी घीसुलाल** के स्थान पर **जगदीशसिंह पुत्र घीसुसिंह, सुमेरसिंह पुत्र घीसुसिंह व रतन कुंवर पत्नी घीसुसिंह** शुद्ध किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम **जगदीशसिंह पुत्र घीसुसिंह, सुमेरसिंह पुत्र घीसुसिंह व रतन कुंवर पत्नी घीसुसिंह** है, जिसकी पुष्टि मे प्रार्थी द्वारा धारित दस्तावेज आधार कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड व भामाशाह कार्ड की प्रतियां पेश कर दी है। नामान्तरकरण दर्ज करते समय त्रुटिपूर्ण नाम **जगदीश पुत्र घीसुलाल, सुमेर पुत्र घीसुलाल व रतन पत्नी घीसुलाल** दर्ज है, जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज नाम को भी दुरस्त किये जाने की मांग की गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 136 राज. भूराजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता हैं। ग्राम माताजीवाडा तहसील बाली में धारित की जा रही सहखातेदारी भूमि खसरा नबर नंबर 642, 643, 25, 62, 626, 627, 628, 629, 63, 630, 64, 65, 632, 633 में **दर्ज प्रार्थी का त्रुटिपुर्ण नाम जगदीश पुत्र घीसुलाल, सुमेर पुत्र घीसुलाल व रतन पत्नी घीसुलाल** को दुरस्ती के माध्यम से सही व **वास्तविक नाम जगदीशसिंह पुत्र घीसुसिंह, सुमेरसिंह पुत्र घीसुसिंह व रतन कुंवर पत्नी घीसुसिंह शुद्ध** किये जाने के आदेश दिये जाते है। रेकर्ड मे दर्ज शेष इन्द्राज बदस्तुर कायम रखे जावे। आदेश प्रति तहसीलदार, बाली व पटवारी हल्का, मौखमपुरा को पालनार्थ भिजवाई जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री घायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

आदेश आज दिनांक 21-12-22 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

भू0 अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली

Scanned with CamScanner